Non-availability of Tenth Class Syllabus

2325. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the copy of Tenth Class syllabus of CBSE for the students appearing in March, 1996 and question papers of previous years including French, of Tenth Class for the years 1994 and 1995 are not available for sale to the public;

(b) whether it is a fact that public is being turned away on the ground that the papers are not available; and

(c) what steps Government propose to take to make these papers available to the public at the CBSE sales counter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) to (c) As per information received from the Central Board of Secondary Education (CBSE), the copies of the Syllabus of Class X for the examinations to be conducted by the Board in 1996 are available for sale to the schools, students and the general public. The authorised publisher has not puiblished the Question Papers of years 1994 and 1995 for public sale because of Copy-right Dispute which is sub-judice in the Delhi High Court. However, all the Question papers including those of French are available for reference in the office library of the Board and the copies of the same can also be obtained on request by the schools. The Board propose to make all arrangements for the sale of Question Papers at its own Sales Counter after a decision is taken by the Delhi High Court in the above-mentioned Copy-right Dispute case.

नेहरू रोजगार योजना के प्रति बैंकों का असहयोग रवैया

2526. चौधरी हरमोहन सिंह:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेहरू रोजगार योजना के प्रति बैंकों का रवैया असहयोगपूर्ण रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा राज्यवार कितना-कितना सहयोग दिया गया है; और

(ग) उक्त मामले के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय से की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वित्त मंत्रालय से क्या जवाब मिला?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) के तहत गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों के माध्यम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या विवरण में है (नीचे देखिए) योजना की कार्यान्वयन पद्धति में बैंकों के बेहतर सहयोग से सुधार लाने के लिए वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के समन्वयन से सतत आधार पर प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) प्रक्रिया गत कठिनाइयों यथा ऋण आवेदनों को लम्बे समय रखने, अधिक संख्या में रद्द करने, ऋण की मात्रा अत्यन्त कम होने, कुछेक बैंकों द्वारा ऋण आवेदन स्वीकार न करने, परियोजनाओं के उपादेय न होने, सूमे के तहत लाभार्थियों की पहचान, गरीबी रेखा को ऊंचा करने, "परिवार" शब्द परिवार की परिभाषा की समस्या तथा निवास स्थान आदि की शर्त से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम हेतु संस्थागत ऋण सहायता बाबत उच्चाधिकार समिति की बैठकों में विचार विमर्श किया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। उच्चाधिकार समिति की पिछली बैठक 19 सितम्बर, 1994 को हुई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी लघु उद्यम स्कीम के तहत ऋण आवेदनों को नियम समय-सीमा में निबटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को पुनः निर्देश दिये हैं। उन्होंने बैंक प्रबन्धकों को शिक्षित करने तथा उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए सभी संगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोगी व्याख्यान सत्र शामिल करने के भी बैंकों को निर्देश दिये हैं, ताकि वे सभी गरीबी उपशमन योजनाओं में विहित भावना के सही ढंग से समझ सकें। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा उसकी समितियों की प्रत्येक बैठक में शहरी लघु उद्यम स्कीम के तहत अनिर्णीत ऋण आवेदनों की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिये गये हैं। लाभार्थियों की सही पहचान के लिए कार्यदल गठित किये गये हैं जिनमें शहरी स्थानीय निकाय स्तर के बैंकों को शामिल किया गया है। शहरी लघु उद्यम प्रथम

स्कीम के कार्यान्वयन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा सहकारी बैंकों की भागीदारी मसले पर वित्त मंत्रालय के साथ बात की गई है और वे इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं। लाभार्थी के निवास स्थान संबंधी सबूत के बारे में यह सहमति हुई है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा तथा राशन कार्डधारी लाभार्थियों को निवास स्थान बाबत सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। साथ ही, पात्रता संबंधी शर्त के रूप में किसी शहरी स्थानीय निकाय में तीन वर्ष के अधिवास की अनिवार्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सहमति नहीं दी तथा वित्त मंत्रालय उसे पहले रद्द कर चुका है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ऋण की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी करने के लिए भी राजी नहीं हैं।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु लघ्यम स्कीम (सूमे) के तहत गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों से सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	25523	18175	15510
2.	बिहार	3732	1987	नहीं मिली
3.	गुजरात	4765	2630	1633
4.	हरियाणा	7435	800	2060
5.	कर्नाटक	14789	3345	14046
6.	केरल	4790	5202	3279
7.	मध्य प्रदेश	43787	32072	नहीं मिली
8.	महाराष्ट्र	18839	11917	7435
9.	ओडिसा	4946	1214	नहीं मिली
10.	पंजाब	3985	3831	2670
11.	राजस्थान	4594	11749	9621
12.	तमिलनाडु	19182	24413	12665
13.	उत्तर प्रदेश	59101	24813	35852
14.	पश्चिम बंगाल	15189	4368	3042
15.	गोवा	–	440	–
16.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	40
17.	असम	1822	1899	13572
18.	हिमाचल प्रदेश	190	–	–
19.	जम्मू व कश्मीर	1695	91	–
20.	मणिपुर	395	2745	1651
21.	मेघालय	199	274	नहीं मिली
22.	मिजोरम	–	–	700
23.	नागालैंड	–	–	–
24.	सिक्कम	182	16	नहीं मिली
25.	त्रिपुरा	330	137	नहीं मिली
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	–	177	–
27.	चण्डीगढ़	178	–	2
28.	दादर तथा नगर हवेली	43	53	4
29.	दमन तथा द्वीव	–	–	–
30.	पाण्डिचेरी	226	160	705
31.	दिल्ली	1038	295	79
	योग:	236855	152380	124628